

नम्बर
अहकाम
हुकम की ता
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजकोट

उपनाम पतिराम प/२ रामनाथ
प्रकरण सं. 84/15 दावा
हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जा इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

3/5/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
डेम्प सिकरोंदों में पेश हुई। डेम्प में
पक्षकार उपस्थित थे। पक्षकारों द्वारा
अवगत कराया गया कि श्रेष्ठ कल द्वारा
सहमती करने पर हमने आपसी सहमती
से बंटवारा कर लिया है। हमारा बंटवारा
कर दिया जावे। डेम्प में ही पटवारी हल्का
सिकरोंदों को पक्षकारों की सहमति ले
करे जात प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश
दिये। पटवारी हल्का द्वारा मोठे पर ही
करे जात प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये
गये। पक्षकारों से सहमति ली गई। पक्षकारों
द्वारा मुताबिक करे जात प्रस्ताव बंटवारा किये
जाने हेतु शिक्के दन किया। अतः मुताबिक
करे जात प्रस्ताव आश्रित बंटवारा किये जाने
के किये जाते थे।

राजस्व लोक अदालत अभियंता
न्याय आपके द्वार-2018

न्यायालय
0105-718

अतः दावा बाकी विद्वद् प्रतिवादीगण
इकी किमा जाकर वारी पतिराम पुत्र
मनीराम जाति निषाद सा. कामरे का पुरा
रकातेदार के हिस्से में ख. नं. 138/407
रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा भिन्न कुरानी प्रथम
लगान 09-13/रु रहेगी तथा प्रतिवादीगण
रामनाथ, परिमाल, शीकरिया पि. हुकमसिंह हैं।
3/4 व रामरती पत्नी व दिनेश नाबा. पुत्र
पि. श्रीनिवास हि. नं. 1/4 नाबा. सरपरस्ती
माता खुद कोम निषाद सा. कामरे का पुरा

हकम

किस्म जमीन बाराही प्रथम लगान
 18-15/- रु रहेगी। उक्त आराजी उक्त
 डोंगरपुर तहसील राजखेड़ा में स्थित है
 तहसीलदार राजखेड़ा उक्तनुसार खातेदारों
 के प्रथक-प्रथक खाते कायम करे पचा
 डिंडी लगान के ~~10~~ 10 (दस) गुणा
 स्थाय्य पर जारी है। निर्णय राजस लोक
 अदालत कैम्प बिकरदा में सुनाया गया।
 पत्रावली संसल शुमार होकर दाखिल
 दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 राजखेड़ा (धौलपुर)

राजस लोक अदालत
 कायम

2

21-31